संख्या-475/2021/1112ई/23-11-2021-1/2(23)/17टी0सी0

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 21 अक्टूबर, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य राजमार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के 05 चालू कार्यो पर आवंटित धनराशि के सापेक्ष लैप्स धनराशि का पुनः आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-4706 बी0जी0/7बी0-मांग/2021-22, दिनांक 08-09-2021, पत्र संख्या-5556बी0जी0/7बी0-मांग/2021-22, दिनांक 30-09-2021, पत्र संख्या-5555बी0जी0/7बी0-मांग/2021-22, दिनांक 30-09-2021, पत्र संख्या-5751बी0जी0/7बी0-मांग/2021-22, दिनांक 08-10-2021 एवं पत्र संख्या-5250बी0जी0/7बी0-मांग/2021-22, दिनांक 05-10-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य राजमार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण योजनान्तर्गत अधोलिखित तालिका में अंकित 05 कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवमुक्त की गयी धनराशि के कोषागार से आहरित न हो पाने के कारण लैप्स हुई कुल धनराशि रू0 3651.31 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ इक्यावन लाख इकत्तीस हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित विवरणानुसार/शर्तों के अधीन पुनः अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि का शासनादेश संख्या व दिनांक			कोषागार से आहरित न हो पाने के कारण लैप्स धनराशि	वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुनः आवंटन हेतु क्षेत्र से प्राप्त मांग	वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटन		
					अनु सं0-58/83	योग			अनु0 सं0-58	अनु0 सं0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	प्र0ख0 बुलन्द शहर	जनपद बुलन्दशहर में मुरादाबाद गवा बुलन्दशहर मार्ग (अनूपशहर डिबाई भाग सहित राज्य मार्ग सं0-148) कि0मी0 104 (30) से 123 (970) तक (लम्बाई 19.00 कि0मी0) चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य।	4824.39	संख्या-368/2021/29आ/23-11-2021-1/2(24)/2021, दिनांक 31-03-2021	787.90/212.10	1000.00	1000.00	1000.00	787.90	212.10	1000.00
2	नि0ख0 जौनपुर	जनपद जौनपुर में सुजानगंज मडियाहू-सुल्तानपुर मार्ग (एस0एच0-151) के चैनेज 16.400 से 47.680 तक (लम्बाई 31.280 कि0मी0) चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य।	2959.22	संख्या-371/2021/18आ/23-11-2021-1/2(14)/2021, दिनांक 31-03-2021	551.53/148.47	700.00	700.00	700.00	551.53	148.47	700.00

http://shasanadesh.up.nic.in

3	प्रा0ख0 गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में भीटी बांसगांव गोला मार्ग (राजमार्ग सं0-146) कि0मी0 8 (600) से 11 (400) एवं 26 (170) से 41 (330) तक का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	3290.56	संख्या-293/2020/27आ/23-11-2020-1/2(15)/2020, दिनांक 21-09-2020	963.32/259.32	1222.64	822.64	822.64	648.16	174.48	822.64
4	नि0ख0-3 झांसी	जनपद जनपद झांसी में दबोह-पूँछ-गुरसराय-टीकमगढ़ मार्ग (राज्य मार्ग सं0-131) के चै0 20.100 से 22.5500 तक (कुल लम्बाई 2.450 कि0मी0) में चौड़ीकरण कार्य	442.75	संख्या-347/2021/392आ/23-11-2021-1/2(23)/17टी0सी0, दिनांक 31-03-2021	244.19/65.73	309.92	309.92	309.92	244.19	65.73	309.92
5	नि0ख0 बदायूँ	जनपद बदायूँ में मेरठ-बदायूँ (रा0मा0 संख्या-18) के चैनेज 162.00 से 207.400 तक दो लेन विद पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण (लम्बाई 45.40 कि0मी0) कार्य	31678.18	संख्या-347/2021/392ई/23-11-2021-1/2(23)/17टी0सी0, दिनांक 31-03-2021	645.09/173.66	818.75	818.75	818.75	645.09	173.66	818.75
					योग:-				**2876.87**	**774.44**	**3651.31**

(1) प्रश्नगत चालू कार्यो हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित किया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समय-सीमा अन्तर्गत कार्यालय महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं समयान्तर्गत कार्य का पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(4) प्रदेश के कोषागारों में लागू चेक प्रणाली से भुगतान की पद्धति के सम्बन्ध में वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश सं0- ए-1-1638/दस-99-10(28)/72, दिनांक 25.06.1999 एवं शासनादेश सं0-ए-1-1063/दस-87-10(28)/72, दिनांक 17.06.1989 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) भविष्य में चालू कार्यों पर आवंटित धनराशि का समय से उपभोग सुनिश्चित किया जाय और कोई भी धनराशि लैप्स न होने पाये।

(6) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-03-राज्य राजमार्गो का निर्माण कार्य-0303-राज्य राजमार्गो के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-

http://shasanadesh.up.nic.in

03-राज्य राजमार्ग-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-राज्य मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के कार्यो हेतु-00-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-03/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22-03-2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या-475/2021/1112ई(1)/23-11-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
9- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
12- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in